

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 20, गुरुवार, शके 1947- दिसम्बर 11, 2025 Agrahayana 20, Thursday, Saka 1947- December 11, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 05, 2025

एस.ओ.141 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(8)वित्त/कर/2021-118 दिनांक 13.11.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 13, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(42)वित्त/कर/ 2009-100 दिनांक 14.10.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 31.03.2030 तक निष्पादित की जाने वाली ऋण की निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा:-

1. राजस्थान सरकार की किसी सरकारी कंपनी, निगम, सोसाइटी या राजस्थान विधान सभा द्वारा अधिनियमित अधिनियम के द्वारा या के अधीन गठित या स्थापित किसी विकास प्राधिकरण, नगरपालिका या नगर सुधार न्यास द्वारा लोक सेवा के प्रयोजन के लिए या राज्यहित में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के साथ नये ऋणों के साथ निष्पादित लिए के नवीनीकरण के ऋणों विद्यमान साथ-किये जाने वाले ऋण करार की लिखतें, और
2. राजस्थान सरकार की किसी सरकारी कंपनी, निगम, सोसाइटी या राजस्थान विधान सभा द्वारा अधिनियमित अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित या स्थापित किसी विकास प्राधिकरण,

नगरपालिका या नगर सुधार न्यास के पक्ष में राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेन्स एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित ऋण की लिखतें।

पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[सं. एफ.2(8)वित्त/कर/2021- 118]

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल

संयुक्त शासन सचिव”।

Government Central Press, Jaipur.